

**मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना :-**वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य राजकीय/ राजकीयकृत/प्रोजेक्ट (उत्क्रमित सहित)/अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा के छात्र एवं छात्रा को मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा `2500/-की दर से साईकिल क्रय हेतु जिलों को राशि उपलब्ध करायी गयी है एवं वितरण कराया जा रहा है।